न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 819/2025

अपीलाण्टगण

1. सुलेमान उर्फ सुल्तान पुत्र इस्माईल
2. रमजान पुत्र इस्माईल
3. मुरादी पत्नी फतन
4. जुम्मा पुत्र फतन उर्फ जीयण पुत्र इस्माईल जाति मुसलमान निवासी– अदरीम का तला, हाल– गौहड़ का तला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. खादम पुत्र पठाई
2. राहमन पुत्र पठाई
3. राणा पुत्र पठाई
4. लखमीर पुत्र पठाई
5. फाती पत्नी पठाई
6. गुलाम अली पुत्र बसाया
7. चिनेसर पुत्र बसाया
8. गुलामअली पुत्र राणा
9. चनेसर पुत्र राणा जाति मुसलमान निवासी– अदरीम का तला, हाल– गौहड़ का तला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।
10. नायब तहसीलदार, चौहटन
11. जादम पुत्र फतन
12. मारूफ पुत्र फतन
13. ममू पुत्र फतन
14. बाबूलाल पुत्र भगवानदास
15. जितेन्द्रकुमार पुत्र बाबूलाल ओसवाल निवासी– चौहटन जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.04.2013 को जिला कलेक्टर, बाड़मेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 120/2008 अनवान खादम वगैराह बनाम ना0 तहसीलदार चौहटन वगैराह में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री सुगनमल परिहार, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 सं.1 ता 5 की ओर से।
3. श्री एम0एल0खत्री विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 6, 7 की ओर से।
4. रेस्पो0 संख्या 8, 9 उपस्थित नहीं है।
5. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से।
6. श्री किशोरसिंह, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 11 ता 13 की ओर से।
7. श्री हिमान्शू श्रीमाली, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14, 15 की ओर से।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

:: निर्णय ::

दिनांकः 11 नवम्बर, 2025

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 01 ता 09 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के समक्ष दिनांक 02.08.2008 को अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि उनकी खातेदारी के पुश्तैनी ख0सं0 45 रकबा 54.07 बीघा, ख0सं0 149 रकबा 93.03 बीघा, ख0सं0 179 रकबा 76.10 बीघा कुल रकबा 218.00 बीघा भूमि ग्राम अदरीम का तला तहसील चौहटन में आये हुए है। वक्त सेटलमेन्ट से उक्त भूमि पर हम रेस्पोडेन्ट्स एवं उनके पूर्वज काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे है। वक्त सेटलमेन्ट वर्णित भूमि पर श्री पठाई, वसाया तथा राणा पिता जीयण काबिज थे तथा इनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाइश करवाकर अपने नाम से पर्चा लगान जारी करवाया गया था। श्री पठाई की मृत्यु होने पर उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के नाम से नामा0 संख्या 407 दर्ज हुआ। रेस्पो0 संख्या 7 व 8 के पिता राणा के फौत होने पर उनकी पत्नी संगार का नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात श्रीमती संगार का देहान्त होने पर वर्तमान रेस्पो0 7 गुलाम रेस्पो0 संख्या 8 चनेसर के नाम नामा0 संख्या 418 पटवारी हल्का के द्वारा दर्ज किया गया, परन्तु इसी नामा0 संख्या 418 के पीछे ''प्रशासन गांवों के संग मुख्यालय रबासर दिनांक 11.10.2001'' का पृष्ठांकन लिखा जाकर जीयण के एक अन्य पुत्र इस्माईल का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अंकित करने का आदेश ना0 तहसीलदार, चौहटन ने दिनांक 11.10.2021 को पारित कर दिया है, वो नामा0 संख्या 418 दिनांक 11.10.2001 खारिज किया जावें। जिला कलेक्टर, बाडमेर ने उक्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 418 दिनांक 11.10.2001 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामा0 पारित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 को पारित कर दिया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस् ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 25.04.2013 को प्रस्तुत की गई है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.04.2013 को पारित किया गया है, वह विधि एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेण्ट्स की संयुक्त सहखातेदारी की है। सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त भूमि जीयण के नाम थी, वक्त सेटलमेन्ट उनका देहान्त हो गया था, परन्तु वक्त सेटलमेन्ट जीयण के पुत्र पठाई, बसाया व राणा के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। अपीलान्ट्स के पिता इस्माईल जो कि

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

पूर्व खातेदार जीयण के जायन्दा पुत्र होने के बाद भी उनके पिता इस्माईल का नाम खातेदारी भूमि में दर्ज नहीं किया गया था, जबकि उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार पैतृक भूमि साबित होती है, ऐसे में इस्माईल का नाम भी जीयण के अन्य पुत्रों के साथ राजस्व रेकर्ड में आना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि विवादित भूमि में इस्माईल का कोई हक नहीं बनेगा क्योंकि वक्त सेटलमेन्ट उनके नाम से अकेले के नाम खातेदारी में दर्ज हो गई है, जबकि कानून का तयशुदा सिद्धान्त है कि अगर सेटलमेन्ट में अलग से खातेदारी किसी के दर्ज हुई है तो उसके आधार पर अन्य पैतृक भूमि से उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, ऐसे में इस्माईल जीयण का जायन्दा पुत्र होने से बराबर–बराबर भूमि में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी बनेगा।

3. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि नामा० संख्या 418 प्रशासन गांवों के संग मुख्यालय रबासर में मजमेआम में उक्त नामान्तरकरण पढके सुनाया, मौजीज आसमीयान ने बताया कि जीयण के चार पुत्र थे, जबकि वर्तमान खाते में सहवन से तीन पुत्रों के नाम खातेदारी चल रही है तथा चारों पुत्र का बराबर हक बनता है। इस कारण इस्माईल का नाम भूल से सेटलमेन्ट के समय छूट गया है जो एक फेस ऑफ रिकार्ड त्रुटि है। तहसीलदार के उक्त आदेश से स्पष्ट ताईद होता है कि उक्त विवादित भूमि में अपीलान्ट के पिता इस्माईल का नाम भी आना चाहिये था। इस प्रकार ना० तहसीलदार ने नामा० संख्या 418 स्वीकृत करने में कोई भूल कारित नहीं की थी, इस कारण से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसार उक्त अभियान में इस प्रकार की राजस्व रेकर्ड में त्रुटि शुद्ध किये जाने के अधिकार दिये जाने पर अपीलान्ट्स के पिता इस्माईल के नाम खातदेारी दर्ज करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की थी। इसके अतिरिक्त नामा० प्रकिया में किसी व्यक्ति के हक व अधिकार तय नहीं होते है। अगर नामा० गलत दर्ज किया गया है तो नामा० की अपील नहीं करके विवादित भूमि में खातेदारी अधिकारों को प्राप्त करने के लिय खातेदारी अधिकारों हेतु घोषणा का दावा न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

4. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील पूर्णतया मियाद बाहर पेश की गई थी, जो करीब 07 साल के बाद पेश हुई थी, जबकि अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त विवादित नामा० संख्या 418 श्रीमती संगार के देहान्त के पश्चात उनके वारिसानों के नाम स्वीकृत किया गया था। उक्त नामा० स्वीकृत होने का ज्ञान तथा इस्माईल का नाम दर्ज होने का ज्ञान रेस्पोडेन्ट्स को पूर्ण

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रूप से पूर्व समय से ही था, ऐसे में उनकी प्रथम अपील मियाद बाहर थी, जो खारिज किये जाने योग्य थी। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट्स ने इस्माईल के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि अदरीम का तला की भूमि में इस्माईल का नाम दर्ज होने से गलती से रह गया है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि बसाया, पठाई राणा एवं इस्माईल की संयुक्त खातेदारी की थी तथा सभी चारों भाईयों के बराबर हक व हिस्सा होने का उल्लेख किया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 के तहत स्पष्ट प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने के सम्बन्ध में स्वीकृति देता है तो वह एडमिशन के आधार पर उक्त भूमि में हक–अधिकार कानूनन माना जायेगा। रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा पेश उक्त दावे को न्यायालय के द्वारा जरिये डिक्री खारिज कर दिया था। ऐसे में विवादित भूमि के बाबत खातेदारी अधिकार तय करने के सम्बन्ध में दावे में अन्तिम निस्तारण हो गया है, तो ऐसे में नामा0 प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के हक व अधिकार समाप्त करने का कानूनन अधिकार ही नहीं था। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि विवादित भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से आदिनांक तक लगातार कब्जा व काश्त खातेदार जीयण के चारों पुत्रों व उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसानों का संयुक्त रूप से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जे–काश्त के सम्बन्ध में मौके की रिपोर्ट तहसीलदार से तलब नहीं की गई थी, जिससे वस्तुस्थिती सामने आ जाती। तहसीलदार, चौहटन ने खातेदार जीयण के जायन्दा पुत्र मानते हुए उनका नाम वक्त सेटलमेन्ट विवादित भूमि में से छूटने पर इस्माईल के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया गया था, जो कि सही था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामा0 संख्या 418 को निरस्त करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 को पारित किया गया है वो उपरोक्त समस्त तथ्यों, प्रकरण की कब्जा–काश्त की स्थिति को देखते हुए तथा इस्माईल जो कि जीयण का जायन्दा पुत्र है, इत्यादि को मध्यनजर रखते हुए निरस्त किया जावे तथा नामा0 संख्या 418 को यथावत रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 01 ता 09 ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाड़मेर के समक्ष दिनांक 02.08.2008 को अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रथम अपील प्रस्तुत की गई कि उनकी खातेदारी के पुश्तैनी ख0सं0 45 रकबा 54.07 बीघा, ख0सं0 149 रकबा 93.03 बीघा, ख0सं0 179 रकबा 76.10 बीघा कुल रकबा 218.00 बीघा भूमि ग्राम अदरीम का तला तहसील

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

चौहटन में आये हुए है। वक्त सेटलमेन्ट से उक्त भूमि पर हम रेस्पोडेन्ट्स एवं उनके पूर्वज काबिज एवं काश्त करते चले आ रहे है। वक्त सेटलमेन्ट वर्णित भूमि पर श्री पठाई, वसाया तथा राणा काबिज थे तथा इनके द्वारा वादग्रस्त भूमि की पैमाइश करवाकर अपने नाम से पर्चा लगान करवाया गया था। श्री पठाई की मृत्यु होने पर उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के नाम से नामा0 संख्या 407 दर्ज हुआ। रेस्पो0 संख्या 7 व 8 के पिता राणा के फौत होने पर उनकी पत्नी संगार का नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात श्रीमती संगार का देहान्त होने पर वर्तमान रेस्पो0 7 गुलाम रेस्पो0 संख्या 8 चनेसर के नाम नामा0 संख्या 418 दर्ज हुआ परन्तु इसी नामा0 संख्या 418 के पीछे ''प्रशासन गांवों के संग मुख्यालय रबासर दिनांक 11.10.2001'' का पृष्ठांकन लिखा जाकर जीयण के अन्य चौथे पुत्र इस्माईल का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अंकित करने का आदेश तहसीलदार, चौहटन ने पारित कर दिया है, वह नामा0 संख्या 418 दिनांक 11.10.2001 नियम विरूद्ध स्वीकृत किये जाने से खारिज किया जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से पेश उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर ने उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 418 दिनांक 11.10.2001 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामा0 पारित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 पारित किया गया है जो कि विधि के अनुकूल व उचित होने से यथावत रखा जावें।

7. रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी कथन किया कि उक्त अपीलाधीन नामा0 संख्या 418 के विरूद्ध प्रथम अपील के विचारण के दौरान अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए थे तथा प्रथम अपील का जवाब उनकी ओर से लिखित में पेश किया गया था जिन पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर करने के उपरान्त ही रेस्पोडेन्टस् की ओर से पेश प्रथम अपील को स्वीकार किया था तथा नामा0 संख्या 418 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये गये थे क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना था कि नामा0 संख्या 418 में अपीलान्ट्स के पूर्वज इस्माईल का नाम जोड़े जाने से पूर्व नायब तहसीलदार के द्वारा राजस्व रिकार्ड की किसी प्रकार से जॉच नहीं की गई थी और न ही दर्ज खातेदारान को अपना पक्ष रखे जाने का कोई अवसर प्रदान किया गया था। इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने खतोनी बन्दोबस्त के अनुसार वक्त सेटलमेन्ट से ख0सं0 45, 149 व 179 में पठाई, वसाया, राणा का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज होना माना है तथा इस्माईल का नाम वक्त सेटलमेन्ट से ही अलग से खातेदार अंकित है, ऐसे में विवादित आराजी में इस्माईल का नाम बतौर वारिस जोड़े जाने का कोई विधिक अधिकार दृष्टिगोचर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जीयण के पांच पुत्रों का वक्त सेटलमेन्ट से अलग–अलग खेत व उनका पर्चा लगान अलग–अलग दर्ज होना

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दस्तावेजों से सही माना गया है। रेस्पोडेन्ट्स के खातेदार अधिकार उक्त वादग्रस्त भूमि में अस्तित्व में रहते हुए तथा इस्माईल के खाते में भूमि अस्तित्व में नहीं रहते हुए श्रीमती संगार पत्नी राणा के फौत होने पर फौतेदगी का नामा संख्या 418 में इस्माईल का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करना विधि सम्मत नहीं था, लिहाजा ना0 तहसीलदार चौहटन के द्वारा पारित नामा0 संख्या 418 को निरस्त योग्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया था।

8. रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट्स की ओर से इस अपील में यह आपत्ति उठाई गई है कि प्रथम अपील मियाद बाहर पेश की गई थी जो स्वीकार योग्य नहीं थी। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व मियाद प्रार्थना पत्र दिनांक 2.8.2008 को अपने निर्णय दिनांक 6.9.2011 के द्वारा स्वीकार करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार माना है जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलान्ट के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 7641/2011 पेश की गई थी जो भी दिनांक 18.05.2012 के द्वारा खारिज कर दी गई थी जिसके उपरान्त ही अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 को पारित किया गया है, जो कि बहाल रखे जाने योग्य है।

9. रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह भी कथन किया कि सहायक कलेक्टर, गुडामालानी न्यायालय के समक्ष पेश किये घोषणात्मक दावे को इस आधार पर विड्रो करवाया गया था कि उक्त वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से तथा खातेदारी में दर्ज होने से नामान्तरकरण की अपील करना चाहते है, अपील व वाद दोनों एक पक्षकारान के होने से कानूनन साथ नहीं चल सकते है। इस आधार पर सहायक कलेक्टर, गुडामालानी न्यायालय के द्वारा घोषणात्मक दावे को आदेश दिनांक 26.07.2008 के द्वारा जरिये विड्रो खारिज किया गया था। ऐसे में अपीलान्ट का यह कथन भी उचित नहीं ठहरता है कि उनके द्वारा दावे में अनुतोष चाहा गया था वो विड्रो के जरिये खारिज करवा लिया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील में सभी तथ्यों, दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 पारित किया गया है जो कि यथावत रखे जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील किसी भी प्रकार से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 को यथावत रखते हुए उसकी पालना हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया जावें।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

10. रेस्पो0 संख्या 6 व 7 एवं रेस्पो0 संख्या 11 ता 13 के विद्वान अधिवक्तागण ने दौराने सुनवाई यह कथन किया कि अपीलान्ट्स की अपील को अपील प्रकरण में अंकित तथ्यों, राजस्व रिकार्ड/दस्तावेजों, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन/अध्ययन करने के उपरान्त तथा विधि के अनुरूप गुणावगुण पर निर्णित की जावें।

11. रेस्पो0 संख्या 8 व 9 के द्वारा दिनांक 27.8.2018 को फार्म नं. 3 के साथ अपनी ओर से शपथ पत्र पेश करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स की ओर से पेश अपील स्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि ना0 तहसीलदार, चौहटन के द्वारा नामा0 संख्या 418 में पूर्व खातेदार जीयण के पुत्र इस्माईल का नाम, छूट जाने के कारण तथा जीयण के चारों पुत्र पठाई, बसाया, राणा तथा इस्माईल का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने को उचित मानते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में इस्माईल का नाम भी दर्ज करने के आदेश दिनांक 11.10.2001 को पारित किया गया है, वो उचित है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावें।

12. रेस्पो0 संख्या 10 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स की ओर से पेश उक्त प्रथम अपील को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर ने उभय पक्षकारान की बहस सुनने के उपरान्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामा0 संख्या 418 दिनांक 11.10.2001 को निरस्त करते हुए नये सिरे से नामा0 पारित करने का जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 पारित किया गया है जो कि विधि के अनुकूल व उचित होने से यथावत रखा जावें।

13. रेस्पो0 संख्या 14 व 15 के विद्वान अधिवक्तागण ने यह कथन किया कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 14 व 15 के द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि में मूल खातेदार बसाया पुत्र जीयण व गुलाम अली व चिनेसर पिसरान राणा के द्वारा उनके हक–हिस्से में आने वाली भूमि का बेचान जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के दिनांक 11.02.2003 को खरीद की गई है तथा बेचान दस्तावेज के आधार पर नामा0 भी स्वीकृत हो चुका है। ऐसे में रेस्पो0 संख्या 15 व 16 के हक–अधिकार सुरक्षित रखे जावे। ना0 तहसीलदार के द्वारा नामा0 संख्या 418 में गलत आधारों पर एवं बिना जॉच के ही उसमें इस्माईल का नाम अंकित किया गया था जो कि निरस्त किये जाये योग्य था।

14. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन एवं किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील, अपीलाधीन आदेशों इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि रेस्पो0 संख्या 01 ता 09 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर,

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

बाड़मेर के समक्ष दिनांक 02.08.2008 को अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक अपील प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ख0सं0 45 रकबा 54.07 बीघा, ख0सं0 149 रकबा 93.03 बीघा, ख0सं0 179 रकबा 76.10 बीघा कुल रकबा 218.00 बीघा भूमि ग्राम अदरीम का तला तहसील चौहटन में स्थित है। वक्त सेटलमेन्ट उक्त वर्णित भूमि पर श्री पठाई, वसाया तथा राणा काबिज थे। श्री पठाई की मृत्यु होने पर उनके वारिसान रेस्पो0 संख्या 1 ता 5 के नाम से नामा0 संख्या 407 दर्ज हुआ तत्पश्चात राणा के फौत होने पर उनकी पत्नी संगार का नाम दर्ज हुआ। श्रीमती संगार का देहान्त होने पर वर्तमान रेस्पो0 7 गुलाम रेस्पो0 संख्या 8 चनेसर के नाम नामा0 संख्या 418 दर्ज हुआ, इसी नामा0 संख्या 418 के पीछे ''प्रशासन गांवों के संग मुख्यालय रबासर दिनांक 11.10.2001'' का पृष्ठांकन लिखा जाकर जीयण के चौथे पुत्र इस्माईल का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अंकित करने का आदेश नायब तहसीलदार, चौहटन द्वारा पारित किया गया। उक्त प्रथम अपील को जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने उभय पक्षकारान की बहस सुने जाने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2023 को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 418 को निरस्त कर नये सिरे से नामा0 पारित करने का आदेश पारित किया है।

15. उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध वर्तमान अपीलान्टस् द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 418 को प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम रबासर में ना0 तहसीलदार चौहटन के समक्ष मजमें आम में उपस्थित मौजीज आसामियान के द्वारा पूर्व खातेदार जीयण के चार पुत्र होने और सहवन से तीन पुत्रों के ही नाम दर्ज होने का कथन किये जाने पर पूर्व खातेदार जीयण के चौथे पुत्र इस्माईल का नाम दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधि के अनुकूल होने के आधार पर यथावत रखे जाने योग्य था, क्योंकि मृतक खातेदार जीयण की पुश्तैनी भूमि में उनके सभी पुत्रों/पुत्रियों का बराबर–बराबर हिस्सा दर्ज होना चाहिये था, ऐसे में ना0 तहसीलदार ने मृतक जीयण के चौथे पुत्र इस्माईल का नाम दर्ज होने से सहवन से रह जाने के आधार पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई थी, जो यथावत बहाल रखा जावे।

16. अपीलाधीन नामा0 संख्या 418 का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि उक्त नामान्तरकरण श्रीमती संगार पत्नी राणा का देहान्त होने पर उनके विधिक वारिसान/पुत्रों यानि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 7 गुलाम, रेस्पो0 संख्या 8 चनेसर के नाम से पटवारी हल्का के द्वारा भरा जाकर पेश किया गया, नायब तहसीलदार (स्वीकृतकर्ता अधिकारी), बाडमेर के द्वारा इसी नामा0 संख्या 418 की पृष्ठ पर ''प्रशासन गांवों के संग मुख्यालय रबासर दिनांक 11.10.2001'' का पृष्ठांकन

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

लिखा जाकर पूर्व खातेदार मृतक जीयण के चौथे पुत्र इस्माईल का नाम भी राजस्व रेकर्ड मे अंकित करने का आदेश दिनांक 11.10.2001 को पारित किया है, जिसे विधि के अनुकूल एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अपीलाधीन नामा0 संख्या 418 जो कि प्रश्नगत भूमि की सहखातेदार श्रीमती संगार का देहान्त होने पर उनके पुत्रों का नाम दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा उसी के अनुसार उक्त नामा0 स्वीकृत किया जाना था। मगर अपीलाधीन नामा0 के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि नामा0 संख्या 418 में इस्माईल का नाम जोड़ने का आदेश किस रिकार्ड एवं आधारों पर जोड़ा गया है, इसका राजस्व रिकार्ड में कही कोई अंकन नहीं। उपलब्ध रिकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि इस्माईल वक्त सेटलमेन्ट से ही अलग से खातेदार अंकित है। ऐसे में विवादित आराजी में इस्माईल बतौर वारिस जोड़े जाने का कोई विधिक आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रश्नगत नामा0 राणा की विधवा पत्नि संगार की मृत्यु के बाद, संगार के वारिसान अर्थात् संगार के पुत्र–पुत्रियों के नाम भरा जाना था, इस्माईल संगार का पुत्र नहीं है, देवर/जेठ की श्रेणी में आता है। इस्माईल संगार का विधिक वारिस कैसे एवं किस आधार पर है, यह भी कहीं पर स्पष्ट नहीं किया गया है। नामा0 संख्या 418 पर इस्माईल का नाम अंकित करने से पूर्व ना0 तहसीलदार चौहटन ने राजस्व रिकार्ड की कोई जॉच नहीं की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार जीयण के पांच पुत्रों का वक्त सेटलमेन्ट से अलग–अलग खेत व उनका पर्चा लगान अलग–अलग होना दस्तावेजों से प्रकट है। अपीलान्ट संख्या 7 व 8 की माता संगार के फौते होने पर फौतगी का नामा0 संख्या 418 में अपीलान्ट संख्या 2 से 5 के पिता इस्माईल का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित करना विधि सम्मत नहीं था क्योंकि संगार के फौत होने से उसका वैध वारिस इस्माईल नहीं था। ना0 तहसीलदार, बाड़मेर के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मृतक सहखातेदार श्रीमती संगार के वारिसान के अलावा अन्य व्यक्ति (इस्माईल) का नाम भी नामा0 में अंकित किये जाने का आदेश पारित किया है जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त श्री इस्माईल पुत्र जीयण का वक्त सेटलमेन्ट से ही अन्य खसरा संख्या 194 रकबा 83.03 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना दस्तावेजों से प्रकट होता है।

17. श्री इस्माईल को अपने पिता जीयण के देहान्त होने के उपरान्त उनकी खातेदारी की भूमि बाबत भरे गये फौतेदगी नामा0 में अपना नाम दर्ज करने की कार्यवाही उसी अवधि में करनी चाहिये थी या अपने हक–अधिकार प्राप्त करने हेतु विधी/नियमों के तहत सक्षम न्यायालय में अपील/वाद दायर करते हुए यथोचित कार्यवाही करनी चाहिये थी, न कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जो कि एक फिसकल प्रोसिडिंग्स के जरिये राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही करते।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

18. जिला कलेक्टर, बाड़मेर ने उभय पक्षकारान की बहस सुने जाने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2023 के द्वारा उक्त प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 418 को निरस्त कर नये सिरे से नामा0 पारित करने के आदेश पारित किया गया है, वह उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार विधि की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नामान्तरकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया गया है वो उचित पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में हमारे विनम्र मत में अपीलान्ट की अपील आधारहीन होने से अपीलाण्ट की अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

19. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.4.2013 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11 नवम्बर, 2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर